तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-7-15	वादी एवं प्रतिवादीगण उप.। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर अटल सेवा केन्द्र-चावण्डिया कलां है वादी ने राजस्व वाद पेश किया। वाद अवलोकन दर्ज रजि. किया गया। वादी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा चावण्डिया कलां के खे.नं. 329 रकबा 2-09 भूमि जरिये बेचान खरीदी लेकिन किसी कारण वश पैरे नाम नामकरण दर्ज नहीं हो सका। वादी डिक्री दिलाई जावे मय हर्जाखर्चा। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के दि. 17-6-07 को जरिये बेचान के उक्त भूमि प्रेमाराम से खरीदी। प्रेमा फोत होने से उनके स्थान पर जरिये विरासत नामान्तरण गोरु पुत्र जगराम के नाम दर्ज होगा। वादी एवं प्रति. ने एक राजीनामा पेश किया, अवलोकन कर तस्दीक किया गया, प्रति. ने भी - अतः राजीनामा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी को उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर डिक्री पर्चा मुताबिक के अमल नामान्तरण किया गया। तहसील पर पैमाइश को डिक्री पर्ची की	शोभाराम तेजाराम पहिचान कर्ता [illegible] प्रेमाराम [illegible] S/o नारायणराम [illegible] चावण्डिया सरपंच ग्राम पंचायत चावंडिया कलां प. स. [illegible] (पाली)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम की तामील अदालत इजलास
	प्रति भेजकर पालन हेतु लिखा जावे. पत्रावली कौरल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। बाद तामील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। आदेश जारी हो। (हस्ताक्षर) SDO.	

Scanned by CamScanner

नम्बर
काम जो
तामील में

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :-- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

शोभाराम पुत्र उरजाराम
जाति-सीरवी,
निवासी-चावण्डियाकलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

1. ढ़गलाराम पुत्र दूदा
2. तेजाराम पुत्र दूदा
3. पनपराम गोद पेमारा
जातियान सीरवी निवासीगण
चावझिडयाकलां

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 335/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.न. 329 रकबा 02-09 बीघा भूमि में बेचाननामा के आधार पर शोभाराम पुत्र उरजाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र- चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner